अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 27/2012

शहिना खातुन एवं अन्य —— अपीलार्थीगण

वनाम

बीवी खातुन —— रेस्पोण्डेन्ट/विपक्षी

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज, जिला–मधेपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 10.08.2011 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 49/10–11 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि मौजा– नरदह थाना+अंचल–पुरैनी खाताः– 395 खेसराः–1312 रकवाः 0.21 डी0 चौहद्दी उत्तरः– शेख छेदी, दक्षिणः– खेसरा संख्याः– 1312, पूरब–सड़क, तथा पश्चिम– शेख ईसराफिल (विपक्षी) विवादित प्रश्नगत भूमि है।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि प्रश्नगत नया खेसरा–1312, कुल रकबा– 90 डीसमल पुराना खाता– 160 पुराना खेसरा– 564 रकबाः 90 डीसमल मुस्तरी मंडल के नाम रैयती जमीन थी। मुस्तरी मंडल का एक मात्र पुत्र विपत मेहता हुआ। विपत मेहता का एक मात्र पुत्र महेश्वरी प्र0 मेहता ने दिनांक 14.08.1985 को निबंधित विक्रय पत्र संख्या 5124 द्वारा पुराना एवं नया खाता खेसरा देकर प्रश्नगत खेसरा की कुल 90 डीसमल सहित अन्य 02 डीसमल सहित अन्य 02 डीसमल कुल 92 डीसमल जमीन सत्यभामा देवी के हाथ बेच दिया वो सत्यभामा देवी ने दिनांक 26.11.1990 को 05 कट्ठा जमीन सावित्री देवी के हाथ तथा 10 कट्ठा जमीन बालदेव मेहता के हाथ बेच दी वो बालदेव मेहता की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मसो० यशोदा देवी ने 10 कट्ठा जमीन की बात तय कर दिनांक 18.02.2005 को एक जरबयेना बनाकर 52000.00 रूपये वादी के पति मो0 सलीम साह प्रतिवादी संख्याः 02 को हाल सर्वे की जानकारी नहीं थी बतलाते हैं।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 2/अपीलार्थी संख्या 2 के नाम प्रश्नगत 65 डीसमल जमीन विधिवत बंदोबस्त हुआ जिसपर इनको मकान मय सहन के रूप में दखल प्राप्त है वो जमाबंदी संख्या 769 चल रहा है और माल गुजारी रसीद प्राप्त कर रहे हैं बतलाते हैं।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/वादीनी के पति से पूर्व में धारा 144 दं0 प्र0 सं0 प्रकिया चली थी वो खारिज हो गया वो वादीनी के पति ने बंदोबस्त जमीन को बेच दिया और अपीलार्थी संख्या–1/प्रतिवादी संख्या–1 के पति के नाम बंदोबस्त जमीन को हड़पना चाहते हैं बतलाते हैं।

04/2010–11 मो0 सलीम साह बनाम शेख इसराफिल, ग्राम कचहरी का आदेश, अंचल अमीन का प्रतिवेदन दिनांक 06.02.08, दाखिल खारीज आदेश 22.06.09, एकरारनामा (पंचनामा) दिनांक 16.11.08, पुराना खतियान नामे सुगनी मंडल खाता पुराना 160 एवं मालगुजारी रसीद ज0 नं0 769 नामे मो0 ईसराफील की छाया प्रति दाखिल किए हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि प्रश्नगत खेसरा का कुल रकबा 90 डीसमल है जिसमें से 21 डीसमल का रेस्पोण्डेन्ट/वादिनी के पति के नाम तथा 65 डीसमल अपीलार्थी संख्या –2/प्रतिवादी संख्या–2 के नाम विधिवत बंदोबस्त है वो रेस्पोण्डेन्ट/वादिनी के पति के नाम जमाबंदी कायम है तथा वर्श 2011–12 तक का मालगुजारी रसीद प्राप्त है वो रेस्पोण्डेन्ट/वादिनी को बंदोबस्त जमीन से भगाने की नीयत से कई वार अपीलार्थी/प्रतिवादी गाली गलौज एवं मारपीट करते है वो मना करने पर वादिनी का खूँटा उखाड़कर फेंक दिया मना करने पर गाली गलौज एवं मारपीट किया गया जिसके लिये पुरैनी थाना कांड संख्या 70/2010 होना बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि अंचल अमीन से रेस्पोण्डेन्ट/वादिनी ने नापी करवाया जिसे अपीलार्थी/प्रतिवादी नहीं मानते हैं वो अपीलार्थी संख्या–2/प्रतिवादी संख्या 02 शेख हैं लेकिन शेखरा का गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बंदोबस्ती कराये हैं वो अपीलार्थी संख्या–2/प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में परिवाद संख्या 757/2010 धारा 467, 468, 420 भा0 द0 वि0 का मुकदमा दायर किया है जो विचार हेतु लंबित होना बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट अपने दावे के समर्थन में इनफोरमेशन (जाति प्रमाण पत्र) निर्गत अंचल अधिकारी पुरैनी कार्यालय से की छाया प्रति दाखिल किए हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकनोपरान्त यह परिलक्षित होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई Infirmity (दुर्बलता) नहीं है। अस्तु अपील वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

10/1/2014
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

10/1/2014
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा